

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक-7.1.2020

मि.न.169/2019

सरकार बनाम रामशरण

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 298/0.10, 297/0.04 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि मेंसे क्रमशः 0.02 व 0.01 है0पर रामशरण पुत्र प्रभाताराम जाति गुर्जर निवासी चानचकी ढाणी नारहेडा तहसील कोटपूतली ने फसल सरसों कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया अतः गैर सायलान के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल रामशरण पुत्र प्रभाताराम जाति गुर्जर निवासी चानचकी ढाणी नारहेडा तहसील कोटपूतली ने वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 298/0.10 व297/0.04 है0किस्म जमीन बारानी प्रथम भूमि मेंसे क्रमशः 0.02 व0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायल रामशरण पुत्र प्रभाताराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी चानचकी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0298/0.10 व297/0.04 है0 ,किस्म बारानी प्रथम मे से क्रमशः 0.02 व0.01है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित

किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर बोई गई फसल सरसों को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.90रु. का पचास गुणा 45रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 7.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

✓
तहसील
कोटपतली जिला

सं. 2019-020 का. नं. 13
पृष्ठ संख्या 13 पर 45 रु
अपने काम में किये गये ।

राजस्व नैसाका
कोटपतली